

डी पी एच सी एल DPHCL

12वां वार्षिक रिपोर्ट
th ANNUAL REPORT
2018-19

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल DPHCL

12th वीं वार्षिक रिपोर्ट th ANNUAL REPORT

2018-19

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi - 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	नोटिस Notice	1
2.	कंपनी सूचना Company Information	5
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	6
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Director's Report	10
5.	स्रोत पर कटौती का विवरण Details Of TDS	19
6.	कर योग्य आय की गणना Computation Of Taxable Income	22
7.	तुलन-पत्र Balance Sheet	23
8.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	25
9.	नकद प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement	27
10.	बैंक समाधान विवरण Bank Reconciliation Statement	28
11.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	29
12.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	39
13.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	51

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्य गणों की 12वीं वार्षिक आम बैठक 25 नवंबर, 2019 को अपराह्न 04:30 बजे विमर्श, कान्फ्रेंस हॉल, दुसरी मंजिल, नवीन पुलिस मुख्यालय बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2019 के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।
2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य:

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश मलिक (डिन: 08029915), जिन्हें अपर निदेशक के पद पर 22 फरवरी 2019 को नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Regd. office: K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

PHONE : 011- 23490357, Email : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MAMBERS OF **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** WILL BE HELD ON MONDAY, THE 25TH DAY OF NOVEMBER 2019 AT 4:30 PM. IN THE VIMARSH ,CONFERENCE HALL, 2ND FLOOR, NEW POLICE HEADQUARTERS BLDG., JAI SINGH ROAD, NEW DELHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSES:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider the audited financial statements of the Corporation for the Finaical Year ended 31st March 2019 including Balance Sheet as at 31st March 2019 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed togrther thereto, together with Reports of Statutory Auditors for that year.
2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Finaancial year 2019-20 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions Section139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Financial year 2019-20."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of the Commanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh.Rajesh Malik (DIN-08029915) ,who was appointed as a Additional Director in meeting held on 22nd February, 2019 and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as a Director not liable to retire by rotation."

“संकल्प किया जाता है कि दिनांक 6 मार्च, 2019 के बोर्ड के संकल्प के अनुसार श्री राजेश मलिक प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे।”

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.11.2019

(राजेश मलिक, आईपीएस)
डिन-0008029915
प्रबंध निदेशक

व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद सं.: 3

श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 22 फरवरी, 2019 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, जिन्हें इसी के साथ दिनांक 06 मार्च, 2019 के बोर्ड के संकल्प के अनुसार 06 मार्च, 2019 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपर निदेशक अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक अपने पद का भार संभालेंगे।

बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली की निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, के पद पर नियुक्त के लिए अनुमोदन संस्तुत करता है।

श्री राजेश मलिक को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.11.2019

(राजेश मलिक, आईपीएस)
डिन-0008029915
प्रबंध निदेशक

"RESOLVED FURTHER THAT Sh. Rajesh Malik, will continue to work as Managing Directors of the Company as per board resolution dated 6th March, 2019"

Place: New Delhi
Date: 01.11.2019

**By the order of Board
Delhi Police Housing Corporation Limited**



(Rajesh Malik, IPS)
DIN: 08029915
Managing Director

EXPLANATORY STATEMENT

(PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT 2013)

ITEM NO. 3

Sh. Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi, was appointed as an additional Director in the board meeting held 22nd February, 2019 who simultaneously was appointed as Managing Director of the Company w.e.f. 6th March, 2019 vide board resolution 6th March 2019. the additional director holds the office till the conclusion of the Annual General Meeting held after his appointment.

The Board recommends the approval of resolution for appointment of Sh. Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi as Director not liable to retire by rotation, Pursuant to section 161 of Companies Act, 2013 by the shareholders by way of ordinary resolution

None of the Directors except Mr. Rajesh Malik is interested in the proposed resolution.

Place: New Delhi
Date: 01.11.2019

**By the order of Board
Delhi Police Housing Corporation Limited**



(Rajesh Malik, IPS)
DIN: 08029915
Managing Director

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2018–2019)

Board of Directors (2018-2019)

श्री अमूल्य कुमार पटनायक
Sh. Amulya Kumar Patnaik
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 31-01-17)

श्री राजेश मलिक
Sh. Rajesh Malik
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 22-02-19)

श्री मृत्युंजय झा
Sh. Mritunjay Jha
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 11-08-17 से/to 08-01-19)

श्री सुधीर कुमार राय
Sh. Sudhir Kumar Rai
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 22-08-17 से/to 24-09-18)

श्री राजेश मलिक
Sh. Rajesh Malik
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 04-12-17 से/to 11-07-18)

श्री तजेन्द्र सिंह लूथरा
Sh. Tajender Singh Luthra
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 23-08-18 से/to 22-02-19)

श्री तरसेम कुमार
Sh. Tarsem Kumar
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 26-02-18 से/to 26-06-18)

श्री श्रीशैल मल्गे
Sh. Shreshail Malge
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 08-01-19)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट,
हौजकाजी, दिल्ली – 110006

Statutory Auditors

M/s. Dua and Associates
Chartered Accountants
3404, Madan Market, Hakim Baqa Street,
Hauz Qazi, Delhi – 110006

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Bankers

State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer – One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

सरकारी निदेशक :- डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :
DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-
The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई-मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017-2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10^{वीं} वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी-II067/17/2019 सीबीIII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रूप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

विलंब कथन

(वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2018-19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBI, dated 6th September, 2019.

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBI, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on dated 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशकगणों को कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 12वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. व्यापार और प्रचालन:

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। निगम को सौंपी गई सभी परियोजनाओं में से केवल द्वारका सेक्टर 9 की परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाएं पूर्ण हुईं। जिसमें केवल छुटपुट कार्य ही शेष रहा है।

2. वित्तीय सार अथवा विषेताएं:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है:

DIRECTOR'S REPORT

The Members,

The Directors of your Company have pleasure in Presenting their Twelfth Annual Report on the business and operations of the Company and Audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2019.

1. Business and Operations:

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other building of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Out of all projects assigned to the corporation, all projects were completed except project at Sector 9 Dwarka which is almost completed as minor work is left only.

2. Financial Summary or Highlights:

The financial performance, for the year ended 31st March, 2019 is summarized as:

(राशि रुपयों में / Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष / FY2018-19	वित्तीय वर्ष / FY2017-18
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	57,812,431	12,634,463
कुल राजस्व	TOTAL REVENUE	57,812,431	12,634,463
व्यय	EXPENDITURE	50,212,609	6,255,178
असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	7,599,821	6,379,284
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएं: असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएं: कर-निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation	-	-
वर्तमान कर	Current Tax	1,978,073	1,908,504
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) after Tax for the year	5,621,748	4,470,780

3. लाभांश:

आपकी कंपनी के निदेशकगणों ने समग्र रूप से प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और कंपनी की लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि यह विवेकपूर्ण होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया जाए।

3. Dividend:

The Board of Directors of your Company, after considering holistically the relevant circumstances and keeping in view the company's dividend distribution policy, has decided that it would be prudent, not to recommend any Dividend for the year under review.

4. आरक्षित:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.5,621,749.00 का लाभ अर्जित किया है जिसे आरक्षित में अंतरित किया गया था, कुल आरक्षित रु.67,334,658.00 बना।

5. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. निदेशक मंडल:

निगम के गठित निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में दिनांक 31.03.2019 को निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

1. अध्यक्ष
श्री अमूल्य कुमार पटनायक, आईपीएस, पुलिस आयुक्त दिल्ली
2. प्रबंध निदेशक
श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस
3. नामित निदेशक
श्री श्रीशैल मालो, आईआरएस, निदेशक, गृह मंत्रालय, दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्तियां

1. श्री तेजेन्द्र सिंह लूथरा, आईपीएस, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय को 23 अगस्त, 2018 को अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
2. वर्ष के दौरान श्री श्रीशैल मालो, निदेशक, गृह मंत्रालय, दिल्ली को दिनांक 8 जनवरी, 2019 को निगम का नामित निदेशक नियुक्त किया गया।
3. श्री राजेश मलिक, विशेष पुलिस आयुक्त को 22 फरवरी, 2019 को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया और दिनांक 6 मार्च, 2019 को निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

4. Reserves:

During the Financial Year ended 31st March, 2019, the Company has earned profit of Rs.5,621,749.00 which was transferred to reserves, the total reserves stand at Rs.67,334,658.00.

5. Change in Nature of Business:

There is no change in the nature of business during the Financial Year 2018-19.

6. Board of Directors:

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi. The Composition of the Board as on 31.03.2019 at the end of the Financial Year 2018-19 is.

1. Chairman
Shri Amulya Kumar Patnaik, IPS, Commissioner of Police, Delhi.
2. Managing Director
Shri Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi Police.
3. Nominee Director
Sh. Shreeshail Malge, IRS, Director MHA, Delhi.

Appointments during the Financial Year 2018-19

1. Shri Tajender Singh Luthra, IPS, Special Commissioner, Delhi Police Headquarters, appointed as an additional director and Managing Director on 23rd August, 2018.
2. During the period Shri Shreeshail Malge, Director, MHA, Delhi appointed as Nominee Director of the Corporation held on 8th January, 2019.
3. Shri Rajesh Malik, Special Commissioner Police, appointed as an additional director on 22nd February, 2019 and appointed as Managing Director of the Corporation on 6th March, 2019.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सेवानिवृत्तियां और त्याग-पत्र

1. श्री तेजेन्द्र सिंह लूथरा, आईपीएस, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय का स्थानांतरण होने के कारण 22 फरवरी, 2019 से निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।
2. श्री मृत्युंजय झा, निदेशक, वित्तीय सलाहकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली का स्थानांतरण होने के कारण 8 जनवरी, 2019 को निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।
3. श्री राजेश मलिक, निदेशक का स्थानांतरण होने के कारण 11 जुलाई, 2018 को निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।
4. श्री सुधीर कुमार राय, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली का स्थानांतरण होने के कारण 24 सितंबर, 2018 को निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।
5. श्री तरसेम कुमार, अतिरिक्त निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 26 जून, 2018 को निदेशक का पद समाप्त हुआ। निदेशक मंडल श्री तरसेम कुमार द्वारा निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए हार्दिक सराहना करता है।

12वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों को नियमित करने का प्रस्ताव

1. श्री राजेश मलिक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को 6 मार्च, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निगम का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था और इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यकाल में जो पारी से सेवानिवृत्ति के लिए योग्य न हो निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है एवं निदेशक मंडल ने उनकी ऐसी नियुक्ति की संस्तुति की है।

7. निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की दो बैठकों में अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुईं :

- 1) 27 जून, 2018
- 2) 19 सितंबर, 2018
- 3) 12 दिसंबर, 2018
- 4) 27 मार्च, 2019

Retirement and Resignations during the Financial Year 2018-19

1. Shri Tajender Singh Luthra, IPS, Special Commissioner, Delhi Police Headquarters, ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer with effect from 22nd February, 2019.
2. Shri Mrityunjay Jha, Director, Financial Advisor, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer with effect from 8th January, 2019.
3. Shri Rajesh Malik, Director ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer with effect from 11th July, 2018.
4. Shri Sudhir Kumar Rai, Director (DELHI), Min. of Home Affairs, North Block, New Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer with effect from 24th September, 2018.
5. Shri Tarsem Kumar, Additional Director ceased from the post of Director with effect from 26th June, 2018, due to his retirement. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Tarsem Kumar during his tenure with the Corporation.

Proposed Regularisation of Director in the 12th AGM

1. Shri Rajesh Malik, Special Commissioner of Police, Delhi was appointed as an Additional Director of the Corporation in the Board Meeting held on 6th March, 2019 and who holds office up to the date of this Annual General Meeting is hereby proposed to be appointed as director not liable to retire by rotation and the Board recommends his appointment as such.

7. Number of Board Meeting :

The Board met 4 (four) times during the financial year. This intervening gap between any two Board meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

During the year under review, the Board met four times on the following dates :

- 1) 27th June, 2018
- 2) 19th September, 2018
- 3) 12th December, 2018
- 4) 27th March, 2019

नाम और पदनाम Name & Designation	बोर्ड मीटिंग की तारीख Date of Board Meeting	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति Attendance in the Board Meeting	कंपनी में निदेशकों की संख्या No. of directorships in Companies
श्री अमूल्य पटनायक, अध्यक्ष Sh.Amulya Patnaik, Chairman	27.06.2018, 19.09.2018, 12.12.2018, 27.03.2019	4	शून्य / NIL
श्री सुधीर कुमार राय, निदेशक Sh. Sudhir Kumar Rai, Director	27.06.2018	1	शून्य / NIL
श्री राजेश मलिक, प्रबंध निदेशक Sh. Rajesh Malik, Managing Director	27.06.2018, 27.03.2019	2	शून्य / NIL
श्री तेजेंदर सिंह लूथरा, प्रबंध निदेशक Sh. Tajender Singh Luthra, Managing Director	19.09.2018, 12.12.2018	2	शून्य / NIL
श्री मृत्युंजय झा, निदेशक Sh. Mrityunjay Jha, Director	19.09.2018, 12.12.2018	2	शून्य / NIL
श्री श्रीशैल मल्गे, नामित निदेशक Sh. Shrees hail Malge, Nominee Director	27.03.2019	1	शून्य / NIL

8. मूलभूत परिवर्तन और वचनबद्धता:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की व्यापारिक गतिविधि में ऐसा कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं देखा गया है।

9. महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण:

किसी विनियामक / कोर्ट अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी की चलायमान स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी सार्थक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए।

10. सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियों का विवरण:

कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोग कंपनी नहीं है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई होल्डिंग, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

11. निवेश:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में कोई निवेश स्वीकार्य अथवा नवीकृत नहीं किया है तथा तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी की ओर से कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था। वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

12. सांविधिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मैसर्स ए.के. जैन एंड सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

8. Material Changes and Commitments :

During the financial year under review, there is no such material change is viewed in the business activity of the company which will affect the financial position of the company.

9. Details of Significant and Material Orders :

There were no significant and material orders passed by any regulators / courts or tribunals impacting the on-going concern status and company's operations in future.

10. Details of Subsidiary/Joint Ventures/ Associate Companies:

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year 2018-19.

11. Deposits :

The Company has not accepted nor renewed any deposits within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 during the financial year 2018-19 and no amount of principal or interest was outstanding on the part of the company as on the Balance Sheet date. The corporation has not accepted any deposits from public during the year.

12. Statutory Auditors and Audit Report:

M/s A K Jain & Associates, Chartered Accountants, were appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year 2019-20.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षक मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार ने सदस्यों को अपनी रिपोर्ट अपनी राय की योग्यता के बिना निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है और उस संबंध में आपके निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

1. लेखापरीक्षक की अभियुक्ति

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय को सूचित किया गया था, और हम इन मामलों पर पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा के मामले निर्धारित किए हैं :

क्र सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले
1.	ठेकेदार को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की वसूली
क्र सं	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	प्रबंध समिति द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

प्रबंध समिति का स्पष्टीकरण

लेखापरीक्षक की अभियुक्ति राइट्स, ठेकेदार को अतिरिक्त राशि के भुगतान संबंधी है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रबंध समिति मामले पर विचार कर रही थी और इस तरह, राइट्स, ठेकेदार से बाराखम्हा रोड परियोजना के लिए रु.63,468,443.00 की राशि प्राप्त हुई। राइट्स ने कुछ राशि का लंबित बिलों की अदायगी संबंधी समायोजन किया है और राइट्स से शेष राशि सभी लंबित बिलों के समायोजन के बाद वसूली जाएगी।

13. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक(सीएजी) की लेखापरीक्षा:

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 16.10.2019 का उनका पत्र सं. 825/पीडीसीए/एमएबी -IV/कंपनी/ए/सीएस/ डीपीएचसीएल/19-20/4933 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि. 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की तथा उनके संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

The Auditors' M/s Dua & Associates, Chartered Accountants, Auditors of the Company for the financial year 2018-19, in their Report to the members without qualifying their opinion have drawn attention on a following point and the explanation of your board with respect to the same are as below:

1. REMARK BY THE AUDITOR:

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matter that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S. No.	Key Audit Matter
1.	Recovery of excess amount paid to contractors
S. No.	Auditors' Response
1.	Being followed up by the management.

MANAGEMENT EXPLANATION

The remarks of Auditors are related to excess payment to RITES, the Contractor wherein it is stated that the management was considering the matter and thus, got the amount of Rs.63,468,443.00 from RITES, the contractor against the Barakhamba Road project. Some amount has been adjusted by the RITES against the payment of pending bills and the remaining funds with RITES will be recovered after adjustment of all pending bills.

13. Comptroller and Auditor General of India (CAG) Audit:

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide its letter no. 825/PDCA/ MAB-IV/ Company /A/cs / DPHCL/19-20 / 4933 dated 16.10.2019, have conducted supplementary audit for the year ended 31.03.2019 under section 143(6)(a) of the Companies Act 2018 and nothing significant has come to their notice.

Further, no frauds were reported U/s 143(12) to the Board during the Financial Year 2018-19 under the Companies Act, 2013.

14. वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप सं. एमजीटी-9 के रूप में अनुलग्नक 'क' पर वार्षिक विवरणी का सार है।

15. ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेसन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण:

क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेसन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था।

16. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित की है तथा समीक्षाधीन वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की एक बैठक दिनांक 12.12.2018 को हुई।

14. Extracts of Annual Return:

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as ANNEXURE 'A' in form MGT-9.

15. Particulars Regarding Conservation of Energy & Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:

a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.

b. During the period under review there was no foreign exchange earning or out flow.

16. Corporate Social Responsibility (CSR):

Pursuant to DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board has constituted CSR committee and during the year under review, the CSR Committee met one (1) time on 12.12.2018.

क्र.सं. Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Shri Amulya Patnaik	अध्यक्ष Chairman	1	1
2	श्री मृत्युंजय झा Shri Mrityunjay Jha	सदस्य Member	1	1
3	श्री तेजेंदर सिंह लूथरा Shri Tajender Singh Luthra	सदस्य Member	1	1

निगम को सीएसआर पर रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है अतः कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुपालन में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 27 मार्च, 2019 को बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति के पुनर्गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में सीएसआर समिति का गठन नीचे दिया जा रहा है:

1. श्री अमूल्य कुमार पटनायक, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, अध्यक्ष
2. श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, सदस्य

The corporation is not required to spend money on CSR so no need to attach the annual report on CSR activities pursuant to Companies (Corporation Social Responsibility) Rules, 2014.

The Composition of the CSR Committee at the end of the Financial Year 2018-19 after the reconstitution of the CSR Committee in the Board Meeting dated 27th March, 2019:

1. Shri Amulya Kumar Patnaik, IPS, Commissioner of Police, Delhi Police, Chairman
2. Shri Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi Police, Member

3. श्री श्रीशैल मालगे, आईआरएस, निदेशक, गृह मंत्रालय, दिल्ली, सदस्य

17. लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति निम्नांकित तारीख में एक बार बैठक हुई:

1) 19 सितंबर, 2018

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Shri Amulya Kumar Patnaik	अध्यक्ष Chairman	1	1
2	श्री तेजेंदर सिंह लूथरा Shri Tajender Singh Luthra	सदस्य Member	1	1
3	श्री सुधीर कुमार राय Shri Sudhir Kumar Rai	सदस्य Member	1	1

दिनांक 27 मार्च, 2019 को बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति के पुनर्गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में सीएसआर समिति का गठन नीचे दिया जा रहा है:

1. श्री अमूल्य कुमार पटनायक, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, अध्यक्ष
2. श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, सदस्य
3. श्री श्रीशैल मालगे, आईआरएस, निदेशक, गृह मंत्रालय, दिल्ली, सदस्य

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए समिति की वित्तीय प्रक्रिया को मॉनीटर करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

18. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

19. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

3. Shri Shreeshail Malge, IRS, Director MHA, Delhi, Member

17. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE:

During the year under review, the Audit Committee met one (1) time on the following date:

1) 19th September, 2018

The Composition of the Audit Committee at the end of the Financial Year 2018-19 after the reconstitution of the Audit Committee in the Board Meeting dated 27th March, 2019:

1. Shri Amulya Kumar Patnaik, IPS, Commissioner of Police, Delhi, Chairman
2. Shri Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi, Member
3. Shri Shreeshail Malge, IRS, Director MHA, Delhi, Member

All recommendations made by the audit committee were accepted by the Board.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

18. Internal Financial Control:

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

19. Particulars of Loans, Guarantees or Investments:

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

20. संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे:

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररूप एओसी-2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

21. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व बहुत कम हैं।

22. लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रकटन:

कंपनी की गतिविधि के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार लागत रिकार्ड का अनुश्रवण अपेक्षित नहीं हैं।

23. मानव संसाधन विकास:

कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। मानव संसाधन पहल के रूप में प्रशिक्षण और जन विकास को आवश्यकतः केंद्रित किया जा रहा है।

24. आचार संहिता:

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए आचार संहिता बनाई है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

25. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ग) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार निदेशकों का कहना है कि:

- (क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- (ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए लाभ का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।
- (ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

20. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties:

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC-2.

21. Risk Management Policy:

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

22. Disclosure regarding Maintenance of Cost Records:

The maintenance of Cost Records as specified by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013 is not required in respect of the activities of the Company.

23. Human Resource Development:

The Industrial relations continued to be cordial in the Company. As a part of HR initiatives, training and people development are being given necessary focus.

24. Code of Conduct:

In compliance of DPE Guidelines, the company has framed the code of Conduct for the Board of Directors & Senior Management. All the members of Board affirm the compliance with the code of conduct on annual basis.

25. Director's Responsibility Statement:

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, the directors would like to state that:

- (a) In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed alongwith proper explanation relating material departures;
- (b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year, 2018-19 and of the profit of the period;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।
- (ङ) असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रस्तुति संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के उप खंड (ड) कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

26. सामान्य प्रकटन:

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

1. लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा विशेष अधिकार के साथ ईक्विटी शेयर को जारी करना।
2. किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों(श्रम साध्य ईक्विटी शेयर सहित) को जारी करना।
3. कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा निधियों का प्रावधान।
4. बोनस शेयर।
5. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान तथा उनकी ड्यूटियों के संबंध में कंपनी की नीति।

27. आभारोक्ति:

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीएनएसटी और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए, कंपनी बैंकरों, निगम के सनदी लेखाकार, कंपनी के कानूनी सलाहकार तथा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

निदेशक मंडल के निदेशानुसार
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष

डिन-07749756

ह.
(राजेश मलिक)
प्रबंध निदेशक

डिन-08029915

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.11.2019

- (d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) The Company being unlisted, sub clause (e) of section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to the company.
- (f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26. General Disclosure:

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
2. Issue of shares (including seat equity shares) to employees of the Company under any scheme ESOP.
3. Provision of money by Company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
4. Bonus Shares.
5. Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge of their duties.

27. Acknowledgements:

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Corporation, Company Law Advisor and Statutory Auditors of the Corporation for their untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

By order of the Board
Delhi Police Housing Corporation Limited



(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
Din: 07749756



(Rajesh Malik)
Managing Director
DIN: 08029915

Place: New Delhi
Date:01.11.2019

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए स्रोत पर कटौती का विवरण

1ली तिमाही

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी/ जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	आशु गुप्ता	04.06.18	AGYPG2196D	35000	6300	41300	3500	
				35000	6300	41300	3500	
प्रदत्त चालान का विवरण								
05.06.2018 को स्रोत पर कटौती जमा							3500	

2री तिमाही

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी/ जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	आशु गुप्ता	01.07.18	AGYPG2196D	38500	6930	45430	3850	06.12.17
2.	संजीव गुप्ता एंड	09.07.18	ACWPG1847M	7627	1373	9000	763	06.12.17
3.	संजीव गुप्ता एंड	26.09.18	ACWPG1847M	16948	3051	19999	1695	06.12.17
				63075	11354	74429	6308	

प्रदत्त चालान का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 06.12.2017 के अतिरिक्त स्रोत पर कटौती जमा की तथा 2री तिमाही के रु.7000/- की अदायगी योग्य स्रोत पर कटौती की राशि के लिए उपयोग किया गया।

3री तिमाही

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी/ जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड	15.10.18	ACWPG1847M	8474	1525	9999	847	04.01.19
2.	संजीव गुप्ता एंड	07.12.18	ACWPG1847M	16948	3051	19999	1695	16.01.19
				25422	4576	29998	2542	
प्रदत्त चालान का विवरण								
04.01.2019 को स्रोत पर कटौती जमा							1695	
16.01.2019 को स्रोत पर कटौती जमा							847	
कुल							2542	

4थी तिमाही

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी/ जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड	10.01.19	ACWPG1847M	8474	1526	1000	847	21.02.19
2.	संजीव गुप्ता एंड	20.02.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	26.03.19
3.	संजीव गुप्ता एंड	31.03.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	2019-20में प्रदत्त
4.	दुआ एंड एसोसिएट्स (सांविधिक लेखापरीक्षा)	31.03.19	AAEFD8970G	30000	.	30000	3000	2019-20में प्रदत्त
5.	दुआ एंड एसोसिएट्स (कर लेखापरीक्षा)	31.03.19	AAEFD8970G	25000	.	25000	2500	2019-20में प्रदत्त
6.	केबीडीसी एंड कं.	31.03.19	AAIFK3116B	28500	.	28500	2850	2019-20में प्रदत्त
7.	संजीव गुप्ता एंड	31.03.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	2019-20में प्रदत्त
				117396	6105	123501	11740	
सकल कुल							20589	
प्रदत्त चालान का विवरण								
21.02.2019 को स्रोत पर कटौती जमा							847	
26.03.2019 को स्रोत पर कटौती जमा							847	
कुल							1694	

DETAILS OF TDS FOR F.Y. 2018-19

1ST QUARTER

SR. NO.	NAME	DATE OF CREDIT	PAN	TAXABLE VALUE	ST/GST	TOTAL	TDS	DATE OF DEPOSIT
1.	Ashu Gupta	04.06.18	AGYPG2196D	35000	6300	41300	3500	
				35000	6300	41300	3500	
Details of Challan Paid								
TDS deposited on 05.06.2018							3500	

2ND QUARTER

SR. NO.	NAME	DATE OF CREDIT	PAN	TAXABLE VALUE	ST/GST	TOTAL	TDS	DATE OF DEPOSIT
1.	Ashu Gupta	01.07.18	AGYPG2196D	38500	6930	45430	3850	06.12.17
2.	Sanjeev Gupta &	09.07.18	ACWPG1847M	7627	1373	9000	763	06.12.17
3.	Sanjeev Gupta &	26.09.18	ACWPG1847M	16948	3051	19999	1695	06.12.17
				63075	11354	74429	6308	

Details of Challan Paid

Excess TDS deposited on 06.12.2017 during FY 2017-18 and utilized against 2nd Quarter TDS payable amount of Rs.7000/-.

3RD QUARTER

SR. NO.	NAME	DATE OF CREDIT	PAN	TAXABLE VALUE	ST/GST	TOTAL	TDS	DATE OF DEPOSIT
1.	Sanjeev Gupta &	15.10.18	ACWPG1847M	8474	1525	9999	847	04.01.19
2.	Sanjeev Gupta &	07.12.18	ACWPG1847M	16948	3051	19999	1695	16.01.19
				25422	4576	29998	2542	
Details of Challan Paid								
TDS deposited on 04.01.2019							1695	
TDS deposited on 16.01.2019							847	
Total							2542	

4TH QUARTER

SR. NO.	NAME	DATE OF CREDIT	PAN	TAXABLE VALUE	ST/GST	TOTAL	TDS	DATE OF DEPOSIT
1.	Sanjeev Gupta &	10.01.19	ACWPG1847M	8474	1526	1000	847	21.02.19
2.	Sanjeev Gupta &	20.02.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	26.03.19
3.	Sanjeev Gupta &	31.03.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	Paid in 2019-20
4.	Dua & Associates (Statutory Audit)	31.03.19	AAEFD8970G	30000	.	30000	3000	Paid in 2019-20
5.	Dua & Associates (Tax Audit)	31.03.19	AAEFD8970G	25000	.	25000	2500	Paid in 2019-20
6.	KBDS & Co.	31.03.19	AAIFK3116B	28500	.	28500	2850	Paid in 2019-20
7.	Sanjeev Gupta &	31.03.19	ACWPG1847M	8474	1526	10000	847	Paid in 2019-20
				117396	6105	123501	11740	
Grand Total							20589	
Details of Challan Paid								
TDS deposited on 21.02.2019							847	
TDS deposited on 26.03.2019							847	
Total							1694	

31.03.2019 को स्रोत पर कटौती अदायगी योग्य लेखा का अंतिम: शेष का समाधान						
01.04.2018 को अथ:शेष – जमा						11850
घटाएं : 06.12.2017 (वित्त वर्ष 2017–2018) को अतिरिक्त प्रदत्त – नामे						-7000
01.04.2018 को अथ:शेष – बही खाते के अनुसार निवल						<u>4850</u>
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कटौती						
1ली तिमाही						3500
2री तिमाही						6308
3री तिमाही						2542
4थी तिमाही						11740
06.12.2017 के अतिरिक्त निवेश को बट्टा खाता लेखे में अंतरित किया गया (7000–6308)						692
						<u>29631</u>
घटाए: वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जमा स्रोत पर कटौती (3500+11850+2542+1694)						-19586
31.03.2019 को शेष						<u>10044</u>
31.03.2019 को स्रोत पर कटौती के लिए अदायगीयोग्य राशि:						
1	केबीडीसी एंड कं.	31.03.19	AAIFK3116B	28500	वित्त वर्ष–2018–2019	2850
2	दुआ एंड एसोसिएट्स	31.03.19	AAEFD8970G	30000	सांविधिक लेखा परीक्षा	3000
3	दुआ एंड एसोसिएट्स	31.03.19	AAEFD8970G	25000	कर लेखा परीक्षा	2500
4	संजीव गुप्ता एंड	31.03.19	ACWPG1847M	8774	फरवरी–19	847
5	संजीव गुप्ता एंड	31.03.19	ACWPG1847M	8774	मार्च–19	847
31.03.2019 को स्रोत पर कटौती के लिए अदायगीयोग्य राशि						<u>10044</u>
Reconciliation of Closing Balance of TDS payable Account as on 31.03.2019						
Opening Balance as on 01.04.2018-Credit						11850
Less: Excess paid on 06.12.2017 (FY-2017-18)-Debit						-7000
Opening Balance as on 01.04.2018-Net as per Ledger Account						<u>4850</u>
Add: Deduction during the FY-2018-19						
1st Quarter						3500
2nd Quarter						6308
3rd Quarter						2542
4th Quarter						11740
Excess deposited on 06.12.2017 transferred to Amount written Off Account (7000-6308)						692
						<u>29631</u>
Less: TDS deposited FY-2018-19 (3500+11850+2542+1694)						-19586
Balance as on 31.03.2019						<u>10044</u>
Amount payable for TDS as on 31.03.2019 :						
1	KBDS & Co.	31.03.19	AAIFK3116B	28500	FY-2018-19	2850
2	Dua & Associates	31.03.19	AAEFD8970G	30000	Statutory Audit	3000
3	Dua & Associates	31.03.19	AAEFD8970G	25000	Tax Audit	2500
4	Sanjeev Gupta &	31.03.19	ACWPG1847M	8774	Feb-19	847
5	Sanjeev Gupta &	31.03.19	ACWPG1847M	8774	Mar-19	847
TDS payable as on 31.03.2019 as per Account						<u>10044</u>

मूल्यांकन वर्ष /ASSTT. YEAR : 2019-20
 पूर्व वर्ष /PREV YEAR : 2018-19
 पैन /PAN : AACCD8943J
 स्थापना की तारीख/D.O.I. : 16/11/2007

कर योग्य आय की गणना
COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

व्यापार अथवा व्यवसाय से आय	INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	Net Profit as per Profit & Loss A/c	7,599,821
जोड़ें : धारा 37 सीएसआर भुगतान पर रोक	Add: CSR Payment Disallowed u/s 37	-
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	Add: Interest on TDS/I. Tax disallowed u/s 40a(ii)	942
जोड़ें : आरओसी को प्रदत्त अतिरिक्त फीस	Add: ROC Additional Fee paid	7,200
कुल आय	Total Income	<u>7,607,963</u>
कुल आय को पूर्णांक करना	Total Income r/off	7,607,970
कुल आय पर 25% की दर से कर	Tax on Total Income @25%	1,901,993
जोड़ें: 4% की दर से शिक्षा उपकर	Add: Education Cess @4%	76,080
जोड़ें : धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज	Add: Intt. U/s 234C	-
कुल कर	Total Tax	1,978,073
घटाएं : अग्रिम कर	Less: Advance Tax	-1630634
घटाएं : स्रोत कर कटौती	Less: TDS	-787757
		<u>(2,418,391)</u>
		(440,318)
घटाएं : स्वमूल्यांकन प्रदत्त कर	Less: Self assessment tax paid	-
देय कर	Refund Due	<u>(440,318)</u>

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डिन-07749756

ह.
(राजेश मलिक)
प्रबंध निदेशक
डिन-08029915

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
Din: 07749756

Sd/-
(Rajesh Malik)
Managing Director
DIN: 08029915

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 07.08.2019

Place: New Delhi
Date:07.08.2019

31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2019 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयरपूंजी	3	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	4	67,334,658	61,712,909
गैर-चालू देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	—	—
चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	6	120,984,816	168,330,758
अल्पावधि प्रावधान	7	—	—
कुल		238,319,474	280,043,667
II. आस्तियां			
चालू आस्तियां			
नकद और नकद तुल्य	8	117,797,075	112,880,373
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	704,533	264,215
अन्य चालू आस्तियां	10	119,817,866	166,899,080
कुल		238,319,474	280,043,667
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां	1 व 2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(राजेश मलिक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08029915

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
I. EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	3	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	4	67,334,658	61,712,909
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities	5	-	-
Current Liabilities			
Other Current Liabilities	6	120,984,816	168,330,758
Short Term Provisions	7	-	-
Total		238,319,474	280,043,667
II. ASSETS			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	8	117,797,075	112,880,373
Short Term Loans and Advances	9	704,533	264,215
Other Current Assets	10	119,817,866	166,899,080
Total		238,319,474	280,043,667
Significant Accounting Policies	1&2		
Notes forming Part of financial Statements			

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Rajesh Malik)
Managing Director
DIN No. 08029915

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2019 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. प्रचालनों से आय		-	-
II. अन्य आय		57,812,431	12,634,463
III. कुल राजस्व (I+II)	11	57,812,431	12,634,463
IV. व्यय			
परियोजना व्यय की लागत	12	49,903,850	4,794,362
अन्य व्यय	13	308,759	1,460,816
कुल व्यय		50,212,609	6,255,178
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	(III - IV)	7,599,821	6,379,285
VI. आपवादिक मदें		-	-
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V - VI)		7,599,821	6,379,285
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII - VIII)		7,599,821	6,379,285
X. कर व्यय:			
(1) चालू कर		1,978,073	1,908,504
(2) आस्थिगित कर		-	-
XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ / (हानि)	(IX - X)	5,621,749	4,470,781
XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि)		-	-
XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि) (XII - XIII)		-	-
XV. अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)		5,621,749	4,470,781
XVI. प्रत्येक रु.100/- के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल और मिश्रित		11.24	8.94
XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(1) मूल और मिश्रित		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	1 व 2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन सं. 000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
 भागीदार
 सदस्यता सं. 090701
 स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 07.08.2019

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
 अध्यक्ष
 डीआईएन सं. 07749756

ह.
(राजेश मलिक)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन सं. 08029915

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31st MARCH 2019

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income	11	57,812,431	12,634,463
III.Total Revenue (I+II)		57,812,431	12,634,463
IV. <u>Expenses:</u>			
Cost of Project Expenses	12	49,903,850	4,794,362
Other Expenses	13	308,759	1,460,816
Total Expenses		50,212,609	6,255,178
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(III – IV)	7,599,821	6,379,285
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		7,599,821	6,379,285
VIII.Extraordinary Items		-	-
IX. Profit before tax (VII – VIII)		7,599,821	6,379,285
X. Tax Expenses :			
(1) Current tax		1,978,073	1,908,504
(2) Deferred tax		-	-
XI.Profit (Loss) from the period from continuing operations	(IX – X)	5,621,749	4,470,781
XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations		-	-
XIII.Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII – XIII)		-	-
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV)		5,621,749	4,470,781
XVI. Equity shares of par value a 100/- each			
XVII. Earning per equity share:			
(1) Basic and Diluted		11.24	8.94
XVIII. Number of shares used in computing earnings per share			
(1) Basic and Diluted		500,000	500,000
Significant accounting policies Notes on Financial Statements	1&2		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Rajesh Malik)
Managing Director
DIN No. 08029915

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

2018-19 के लिए नकद प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the Year 2018-19

(राशि रुपयों में/Amount in Rs.)

		2018 -19	
क	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	A	Cash Flows From Operating Activities
	कराधान पूर्वलाभ		Profit before taxation
	समायोजन के लिए:		Adjustments for:
	ब्याज आय		Interest income
	ब्याज व्यय		Interest expense
			7,599,821
			7,882,081
			-
			15,481,902
	चालू आस्तियों में वृद्धि		Increase in Current Assets
	चालू देयताओं में वृद्धि		Increase in Current Liabilities
	प्रचालन से सृजित नकद		46,640,895
	प्रदत्त आयकर		(47,345,942)
	<i>प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग</i>		14,776,855
			1,978,073
			12,798,782
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	B	Cash Flows From Investing Activities
	प्राप्त ब्याज		Interest received
	<i>निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद</i>		7,882,081
			7,882,081
ग	वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	C	Cash Flows From Financing Activities
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)		Net cash used from financing activities
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		Net (decrease) in cash and cash equivalents
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		Cash & cash equivalents at beginning of the period
			-
			4,916,702
			112,880,373
			117,797,075

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(राजेश मलिक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08029915

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Rajesh Malik)
Managing Director
DIN No. 08029915

खाता सं. 30896561075 का 31 मार्च, 2019 को बैंक समाधान विवरण

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2019 OF ACCOUNT NO. 30896561075

31.03.2019 को बैंक बुक के अनुसार शेष (नामे) Balance as per Bank Book as on 31.03.2019 (Dr)	1,489
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2019 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31 st March 2019(Cr)	<u>1,489</u>

खाता सं. 30316069825 का 31 मार्च, 2019 को बैंक समाधान विवरण

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2019 OF ACCOUNT NO. 30316069825

31.03.2019 को बैंक बुक के अनुसार शेष (नामे) Balance as per Bank Book as on 31.03.2019 (Dr)	10,175
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2019 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31 st March 2019 (Cr)	<u>10,175</u>

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कंपनी सूचना

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना गृह-निर्माण और पुलिस थाना का निर्माण तथा निर्माण कार्य/सिविल-निर्माण कार्य, मरम्मत आदि अथवा पुलिस विभाग की कोई भी इमारत संबंधी किसी भी निर्माण कार्य के उद्देश्य से 16.11.2007 को की गई थी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख. स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं।

ग. मूल्यहास

कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं इसलिए वर्ष के दौरान कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं हुआ।

घ. गैर-चालू देयताएं

गैर-चालू देयताएं शून्य हैं।

ङ. राजस्व मान्यता नीति

जब कभी उपार्जित होता है, आय को मान्यता दी जाती है।

च. कर के लिए लेखांकन

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में अदायगी योग्य कर की राशि पर चालू कर निर्धारित होता है।

छ. सरकारी अनुदान का लेखांकन

कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरणों के लिए गृह मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होता रहा है। अनुदान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित लागत होती है। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान माना है तथा कंपनी ने व्यय को लाभ और हानि लेखा के विवरण में निर्माण व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के अंतर्गत बुक किया है।

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2019

1. CORPORATE INFORMATION

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil works, repair etc. or to do any civil works in connection with any building belonging to police department.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

b. FIXED ASSETS

No Fixed Assets Purchased during the year.

c. DEPRECIATION

There is no Fixed Assets Purchased, hence, no depreciation charged during the year.

d. NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current Liabilities are nil.

e. REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

f. ACCOUNTING FOR TAXES

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

g. ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS

The company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction & modernizations of office and residential building Grants are recognized over the period in which the related costs are incurred. The company has treated the same as revenue grant and has booked the expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & Loss account.

ज. प्रावधान

प्राक्कलन की सारभूत डिग्री के सम्मिलन के प्रावधान को अभिज्ञात नहीं किया जाता है जब घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है। आकस्मिक देयताओं को अभिज्ञात नहीं किया जाता लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न अभिज्ञात किया जाता है न प्रकट किया जाता है।

झ. प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

ज. पूर्ववर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनः समायोजित किया जाता है।

h. PROVISIONS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. EARNING PER SHARE

Basic Earning per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity share outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period, except when the result would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या : 3. शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
जारी प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं				
कुल	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ख. 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2019 को इक्विटी शेयर		31/03/2018 को इक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	—	—	—	—
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	इक्विटी शेयर	99.99%

घ. 31/03/2019 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	—
अधिकारियों द्वारा	—

टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	61,712,909	57,242,128
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	5,621,749	4,470,781
कुल	67,334,658	61,712,909

टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	—	—
कुल	—	—

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2019

NOTE : 3. SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
Issued Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed and Fully Paid up Equity shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed But not Fully Paid up				
Total	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2018 and March 31, 2017 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2019		Equity Shares as on 31/03/2018	
	No.	Rs.	No.	Rs.
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2019

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

Note : 4. RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Opening Balance	61,712,909	57,242,128
Add: Profit & Loss A/c	5,621,749	4,470,781
Total	67,334,658	61,712,909

Note : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Delhi Police	-	-
Total	-	-

टिप्पणी संख्या : 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	20,375,351	70,279,301
भुगतान योग्य फीस (दुआ एंड एसोसिएट्स)	49,500	49,500
आशु गुप्ता एंड कंपनी	1,800	65,400
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	10,044	4,850
प्रतिभूति जमा – राइट्स लि.	259,655	259,655
प्रतिभूति जमा – संजीव गुप्ता एसोसिएट्स	12,000	—
संजीव गुप्ता एंड एसोसिएट्स	17,153	—
गृह मंत्रालय को भुगतान योग्य	100,233,298	97,640,907
के.बी.डी.एस. एंड कंपनी	26,015	31,145
कुल	120,984,816	168,330,758

टिप्पणी संख्या : 7. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	1,978,073	1,908,504
घटाएं: अग्रिम कर	1,630,634	1,470,000
घटाएं: स्रोत पर कर की कटौती	347,439	438,504
कुल	—	—

टिप्पणी संख्या : 8. नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	10,176	10,332
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	1,489	656
ख) अन्य (प्रकृति बताएं)		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	117,785,410	112,869,385
कुल	117,797,075	112,880,373

टिप्पणी: नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या : 9. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2018-19	264,215	264,215
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2019-20	440,318	—
कुल	704,533	264,215

Note : 6. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Unspent Government Grant	20,375,351	70,279,301
Audit Fees Payable (Dua & Associates)	49,500	49,500
Ashu Gupta & Co.	1,800	65,400
TDS Payable	10,044	4,850
Security Deposit – Rites Ltd.	259,655	259,655
Security Deposit – Sanjeev Gupta Associates	12,000	-
Sanjeev Gupta & Associates	17,153	-
Payable to MHA	100,233,298	97,640,907
KBDS & Co	26,015	31,145
Total	120,984,816	1,68,330,758

Note : 7. SHORT TERM PROVISIONS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Provision for Tax	1,978,073	1,908,504
Less: Advance Tax	1,630,634	1,470,000
Less: TDS Adjusted	347,439	438,504
Total	-	-

Note : 8. CASH & CASH EQUIVALENTS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
a) Balance with Bank		
State Bank of India – A/c 825	10,176	10,332
State Bank of India – A/c - 1075	1,489	656
b) Other (Specify nature)		
FDR's with SBI Bank	117,785,410	112,869,385
Total	117,797,075	112,880,373

Note: Cash and Cash Equivalents includes deposits maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

Note : 9. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Income Tax A.Y. – 2018-19	264,215	264,215
Income Tax A.Y. – 2019-20	440,318	-
Total	704,533	264,215

टिप्पणी संख्या : 10. अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
जमा रसीद पर प्राप्तव्य ब्याज	3,832,881	3,602,535
हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड	—	3,860,378
राईट्स लिमिटेड	115,984,986	159,436,167
कुल	119,817,867	166,899,080

टिप्पणी संख्या : 11. अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान की मान्यता	49,903,850	4,794,362
एसबीआई में मियादी जमा पर ब्याज	7,882,081	7,026,998
निविदा फीस	4,000	11,000
राशि पुनरांकन	22,500	802,103
कुल	57,812,431	12,634,463

टिप्पणी संख्या : 12. परियोजना लागत का व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	49,903,850	4,794,362
क्रियान्वयन और परामर्श प्रभार	—	—
कुल	49,903,850	4,794,362

टिप्पणी संख्या : 13. अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
विधि और व्यावसायिक फीस	36,400	45,430
प्रतिधारण शुल्क	185,729	493,500
आरओसी फीस	23,400	28,300
आयकर/स्रोत पर कटौती पर ब्याज/विलंबन शुल्क	942	14,575
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (सांविधिक लेखापरीक्षा)	30,000	30,000
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (कर लेखापरीक्षा)	25,000	25,000
निगमित सामाजिक दायित्व	—	264,871
बैंक प्रभार	1,888	1,554
आयकर के लिए प्रावधान—मूल्यांकन वर्ष 2017-18 व 2014-15	—	551,586
विविध व्यय	5,400	6,000
कुल	308,759	1,460,816

Note : 10. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Interest on FDR Receivable	3,832,881	3,602,535
Hindustan Prefab Limited	-	3,860,378
Rites Ltd.	115,984,986	159,436,167
Total	119,817,867	166,899,080

Note : 11. OTHER INCOMES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Government Grant recognized	49,903,850	4,794,362
Interest on term deposit with SBI	7,882,081	7,026,998
Tender Fees	4,000	11,000
Amount written bank	22,500	802,103
Total	57,812,431	12,634,463

Note : 12. COST OF PROJECT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Construction Expenses (Police Station)	49,903,850	4,794,362
Execution & Consultancy Charges	-	-
Total	49,903,850	4,794,362

Note : 13. OTHER EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2019	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2018
Legal & Professional Fees	36,400	45,430
Retainership Charges	185,729	493,500
ROC Fees	23,400	28,300
Interest/Late fee on Income Tax/TDS	942	14,575
Auditors Remuneration (Statutory Audit)	30,000	30,000
Auditors Remuneration (Tax Audit)	25,000	25,000
CSR Payment	-	264,871
Bank Charges	1,888	1,554
Prov for Income tax – Asst Yr. – 2017-18 & 2014-15	-	551,586
Misc. Exp.	5,400	6,000
Total	308,759	1,460,816

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां

14. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अप्रयुक्त निधि में से बाह्य पार्टी को कोई अदायगी नहीं की है। इस अनुदान में से की गई अदायगी को निर्माण लागत से संबंधित व्यय के रूप में माना जाता है, जो इसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है।
15. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा), प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ), गृह मंत्रालय (एमएचए), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार राइट्स लिमिटेड और अन्य निष्पादन एजेंसियों के पास लंबित अप्रयुक्त शेष और उस पर अर्जित ब्याज प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय का है।
16. दिनांक 31.03.2018 को रु.7,02,79,301/- का अनुदान का बकाया शेष है (डीपीएचसी लिमिटेड का रु.46,23,663/- और निष्पादन एजेंसियों का रु.6,56,55,638/-) और अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रुपए शून्य प्राप्त हुए तथा इन अनुदानों में से राइट्स लिमिटेड और अन्यो को अदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.4,99,03,850/- का उपयोग किया गया। इन अप्रयुक्त अनुदानों को तुलन-पत्र में अन्य चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।
17. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।
18. लेखा मानक-15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है।
19. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Sh. Amulya Kumar Patnaik	अध्यक्ष Chairman	31/01/2017	जारी Continuing
2.	श्री राजेश मलिक Sh. Rajesh Malik	प्रबंध निदेशक Managing Director	22/02/2019	जारी Continuing
3.	श्री अजय कुमार गर्ग Shri Ajay Kumar Garg	निदेशक (संरक्षे दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि) Director (Representative of GNCTD)	04/04/2019	जारी Continuing
4.	श्री श्रीशैल मल्गे Shri Shreeshail Malge	निदेशक (गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि) Director (Representative of MHA)	08/01/2019	जारी Continuing

20. कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती है, जहां इसे कानून योग्य अधिकार है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं

Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2019

14. During the financial year the company did not make any payment to outside agencies from the unutilized funds. The Payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost assuming the same utilized for the purpose.
15. The unspent balance alongwith interest accrued thereon pending with Rites Limited and other Executing Agencies belongs to PAO, MHA as per directions of Sr. AO(A/Cs) Principal Accounts Office (PAO), Ministry of Home Affairs (MHA), New Delhi.
16. There was outstanding balance of grant Rs.7,02,79,301/- as on 31.03.2018 (Rs.46,23,663/- with DPHC Ltd and Rs.6,56,55,638/- with Executing Agencies) and Rs. Nil received during the Financial Year 2018-19 as grant and out of these grants Rs.4,99,03,850/- has been utilized during the Financial Year 2018-19 by making payment to Rites Limited and others. These unutilized grants are shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard - 12.
17. There is no Contingent liability of the Company.
18. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.
19. The details of Management Personnel are as follows:

20. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intend to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard - 22 "Accounting for Taxes

के समाधान करना होता है तथा तदनुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

(राशि रूपयों में)

कर के लिए प्रावधान	19,78,073
अग्रिम कर	16,30,634
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	7,87,757
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	4,40,318

21. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित की गई है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

प्रति शेयर उपार्जन की गणना	Calculation of EPS	As on 31.03.2019 को	As on 31.03.2018 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	56,21,749	44,70,781
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000	5,00,000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	11.24	8.94
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

22. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं है।
23. कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए भुगतान नहीं किया है।
24. कुछ पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Amount in Rs.)

Provision for Tax	19,78,073
Advance Tax	16,30,634
TDS receivable	7,87,757
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	4,40,318

21. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity shareholders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

22. The Company has no outstanding liability towards small-scale Industries/undertakings.
23. The Company has not made payment towards Corporation Social Responsibility (CSR).
24. Balance of some Parties & Advances are subject to confirmation.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 000669एन

ह.

(सीए चंचल तलवारिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07.08.2019

As per our report of even date attached

For **Dua & Associates**

Chartered Accountants

FRN No.000669N

Sd/-

(CA Chanchal Talwaria)

Partner

M.No.090701

Place : New Delhi

Date : 07.08.2019

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(अमूल्य कुमार पटनायक)

अध्यक्ष

डीआईएन सं. 07749756

ह.

(राजेश मलिक)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 08029915

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Amulya Kumar Patnaik)

Chairman

DIN No.07749756

Sd/-

(Rajesh Malik)

Managing Director

DIN No. 08029915

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड,
दिल्ली

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर
रिपोर्ट

राय

हमने इसके साथ संबद्ध दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 के तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना को देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कार्य की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं उसके नकद प्रवाह की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एएस) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे दायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के तहत वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

Independent Auditor's Report

To the Members

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
Delhi.

**REPORT ON THE AUDIT OF THE
STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS**

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED (THE COMPANY) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statement give the information required by the Companies Act, 2013["Act"] in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, its profit and Loss Statement its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Financial Statement in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of The Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities' for the Audit of the Financial Statement section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement under the provisions of The Companies Act, 2013 and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Financial Statement.



मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले, वे मामले हैं जो कि हमारे व्यावसायिक निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। ये मामले पूर्णतः वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय को सूचित करने के संदर्भ में संबोधित थे तथा हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं:

क्र सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले
1.	ठेकेदार को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की वसूली
क्र सं	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	प्रबंध समिति द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अपनी रिपोर्ट (यहां और इसके बाद 'बोर्ड रिपोर्ट') को तैयार करने एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न सूचनाएं शामिल हैं लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बोर्ड रिपोर्ट को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी आश्वासनात्मक निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणिका की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना है तथा ऐसा करने में विचार करें कि क्या बोर्ड रिपोर्ट भौतिक रूप से असंगत तो नहीं अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन हैं, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S. No.	Key Audit Matter
1.	Recovery of excess amount paid to contractors
S. No.	Auditors' Response
1.	Being followed up by the management.

Other information

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of its report (herein after called as "Board Report") which comprises various information required under section 134(3) of the Companies Act 2013 but does not include the financial statement and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial statement does not cover the Board Report and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statement, our responsibilities is to read the Board Report and in doing so, consider whether the Board Report is materially inconsistent with the financial statement or our Knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the Ind-AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets



दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकॉर्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के अधार पर करने के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी होगी जब तक कि प्रबंध समिति का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इन लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

1. वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और

of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

1. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than



हमारी राय के लिए आधार प्रदान हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्त्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

2. लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रियप्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।
3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
4. प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्त्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती है जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।
5. प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्राप्त हो सके।
भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक और भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

2. Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
3. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
4. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or condition may cause the Company to cease to continue as a going concern.
5. Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.



हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में संवाद करते हैं।

शासन से प्रभावित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने से ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को "अनुलग्नक क" पर प्रस्तुत हैं।
अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित लागू होने वाली सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने रिपोर्ट में उक्त दिए गए मामलों को छोड़कर वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरणिका एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied that relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143 (11) of the Act, we give in the "Annexure A" statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except on the matters given above in the report.
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c) the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.



- ड) 31 मार्च, 2019 का निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, निदेशक मंडल ने अभिलेखित किया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है;
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक 'ख' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें;
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;
- i. कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है।
- ii. कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;
- iii. ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।
3. अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शामिल विषयों पर रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ग'** पर है।
- e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2019, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2019, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
- g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:
- i. The Company has no pending litigation.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.
- iii. There were no amounts required to be transferred to investor education and protection fund by the company.
3. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed herewith as per **"Annexure-C."**

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन

ह.
सीए चंचल तलवारिया
भागीदार
सदस्यता सं. 090701



For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwar)
Partner
M.No.090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यगणों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

Annexure "A To The Independent Auditor's Report to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended 31st March 2019.

- (i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।
- (ii) जैसा कि कोई माल-सूची नहीं है, कंपनी पर खंड (ii) लागू नहीं है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों किसी को प्रतिभूत/अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण को विनिर्धारित नहीं किया है।
- (vii)(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी खाता बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित जो कंपनी पर लागू सामान्यतः अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदायगी योग्य तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए उक्त सांविधिक देय बकाया नहीं है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर के देयों का कोई बकाया नहीं है।
- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

- (i) The company has no fixed assets; hence this point is not applicable.
- (ii) As there is no inventory clause (ii) is not applicable to the company.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, in respect of loans, investments, guarantees, and security.
- (v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year.
- (vi) As informed to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records u/s. 148(1) of the Act.
- (vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues which are applicable to the Company including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above statutory dues in arrears as at the end of the financial year as at 31st March 2019 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.
- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loan from banks and financial institutions. The Company did not have any outstanding dues to any financial institution or debenture holders during the year.



- (ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव अथवा ऋण सहित प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में धनराशि नहीं बढ़ाई है।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी न ही नोटिस अथवा रिपोर्ट की गई न ही प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।
- (xi) कंपनी ने अपनी प्रबंध समिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए यह मद लागू नहीं है। अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अधिदेशी है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव आदेश का खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन नहीं हुआ। अतः यह मद लागू नहीं है।
- (xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकदीतर लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन

ह.
सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार

सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

कार्यालय: 3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट, हौजकाजी, दिल्ली-110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210

- (ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt.
- (x) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company buy its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (xi) The company had not paid any remuneration to its management hence this point is not applicable. The requisite approval mandated by the provision of section 197 read with schedule v to the Act.
- (xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.
- (xiii) There are no related party transactions during the year; hence this point is not applicable.
- (xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.



For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwar)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

Office: 3404, MADAN MARKET, HAKIM BAQA STREET, HAUZ QAZI, DELHI - 110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2019 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू हैं तथा दोनों भारत

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** ('the Company') as of 31st March 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Controls over Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'Guidance Note'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, to the extent applicable to an Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that



सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना उनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके

we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.



वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नांकित विषयों को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्षम नहीं है, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2019 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

1. शेष पर अर्जित ब्याज / ठेकेदारों के पास पड़ी धनराशि।
2. परियोजनाओं के पूर्ण होने और सौंपे जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की गैर-वसूली।
3. सावधि जमा रसीदों के लिए निधियों के आवंटन की प्रणाली और उस पर अधिकतम वापसी पाना।

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन

ह.
सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India except the following areas where the internal control systems are not adequate:

1. Interest earned on balance/idle funds lying with the contractors.
2. Non recovery of excess amount paid to contractor despite the projects had been completed and handed over.
3. System of allocation of funds for FDR & getting optimum returns thereon.



For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

Place : New Delhi
Date : 07.08.2019

कार्यालय: 3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट, हौजकाजी, दिल्ली-110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210

Office: 3404, MADAN MARKET, HAKIM BAQA STREET, HAUZ QAZI, DELHI - 110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5)
के अंतर्गत निर्देश

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : 2018-19

Directions under Section 143(5) of the new
Companies Act, 2013

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
F.Y. 2018-19

क्रसं.	विवरण	Sr.No.	Particulars
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से भी लेखांकन लेन-देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रमण के निहितार्थ यदि कोई है, का उल्लेख करें।	1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.
उत्तर	कंपनी की अपने लेखांकन कार्य-विवरण के लिए कोई आईटी प्रणाली नहीं है। कंपनी अपने लेखांकन कार्य-विवरण का लेखा-जोखा रखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है।	Reply	The company does not have IT system to process its accounting transactions, The company follows accounting software Tally to record its accounting transactions.
2.	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to reply the loan? If yes, the financial impact may be stated.
उत्तर	ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	Reply	There is no case of waiver/write off of any debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to reply the loan.
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/used as per its term and conditions? List the cases of deviation.
उत्तर	वर्ष के दौरान कोई अनुदान नहीं मिला। कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी के पास लंबित अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग अनुदान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।	Reply	No grants received during the year. The Company has not received any grants from Central/State agencies unutilized funds pending with the company are being utilized as per terms & conditions of grant.





कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-Officio Member Audit Board-IV, New Delhi



गोपनीय
स. 825-PDCA/MAB-IV/Company/A/cs/DPHCL/19-20/4933
दिनांक :- 16.10.2019

सेवा में,

The Chairman,
Delhi Police Housing Corporation Limited,
K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi - 110002.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत Delhi Police Housing Corporation Limited के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत Delhi Police Housing Corporation Limited के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Nil Comments प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय


(राजदीप सिंह)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकों को कंपनी अधिनियम में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखापरीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा-143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी 7 अगस्त, 2019 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिकाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र ढंग से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया है तथा यह प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(राजदीप सिंह)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.10.2019

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019**

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **07th August 2019**.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2019. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Place: New Delhi
Date: 16.10.2019**


(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com